

आयुष्मान भारत, मध्यप्रदेश  
दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद  
प्रथम तल, आई.ई.सी. ब्यूरो,  
जय प्रकाश अस्पताल परिसर, भोपाल

क्रमांक/समन्वय/2018/43  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 01/09/2018

समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक  
मध्यप्रदेश।

विषय :- आयुष्मान भारत मध्यप्रदेश के क्रियान्वयन के संबंध में विडियो कांफ्रेंसिंग सत्र बाबत।  
संदर्भ :- 1/ क्रमांक/समन्वय/2018/39-40 भोपाल, दिनांक 30/08/2018  
2/ क्रमांक/समन्वय/2018/41-42 भोपाल, दिनांक 31/08/2018

उपरोक्त संदर्भित पत्र एवं विषयंतर्गत कि निम्नालिखित संशोधन जारी किया जाता है :-

- 1/ विडियो कांफ्रेंसिंग में जिला अस्पताल और चिकित्सा महाविद्यालयों के Slot अलग-अलग किये गये है।
- 2/ अतः अब शासकीय चिकित्सालय एवं गैस राहत अस्पताल के विषय विशेषज्ञ दिनांक 01.09.2018 से 07.09.2018 तक की विडियो कांफ्रेंसिंग में उपस्थित रहेंगे।
- 3/ दिनांक 10.09.2018 से 18.09.2018 के V.C Slot में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के विषय विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे।
- 4/ उक्त विडियो कांफ्रेंसिंग में विषय विशेषज्ञ चिकित्सक ही विडियो कांफ्रेंसिंग में भाग लेंगे तथा वह विषय से संबंधित Preauthorization, Procedures, Packages की सूची भी साथ रखेंगे।
- 5/ मुख्यालय स्तर के विषय विशेषज्ञ चिकित्सक मंत्रालय वल्लव भवन भोपाल के N.I.C कक्ष में उपस्थित रहेंगे।

(अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित)

  
(रुही खान)

अपर संचालक सह


g/c कार्यपालन अधिकारी

भोपाल, दिनांक 01/09/2018.

पृष्ठा क्रमांक/समन्वय/2018/44

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत मध्यप्रदेश।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश की ओर लेख है कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के समस्त विशेषज्ञों को तिथि अनुसार विडियो कांफ्रेंसिंग सत्र में भाग लेने हेतु जिला कलेक्ट्रेट के N.I.C विडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष से सम्मिलित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संचालक, गैस राहत अस्पताल की ओर लेख है कि शासकीय गैस राहत चिकित्सालयों के समस्त विशेषज्ञों को तिथि अनुसार विडियो कांफ्रेंसिंग सत्र में भाग लेने हेतु जिला कलेक्ट्रेट के N.I.C विडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष से सम्मिलित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. समस्त संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सकों/राज्य नोडल अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
अपर संचालक सह  
कार्यपालन अधिकारी  
de